Shri Ravindra Varmal

violent incidents is Goa. May I know whether it is a fact that there was a total and sudden failure of power-supply in Goa on that day, and if so, whether Government are in a position to state whether that was due to sabotage or due to one of the periodical failures of power-supply from which the Union Territories suffer?

Shri Hathi: The street lights were damaged because of these violent acts.

Shri K. C. Pant (Naini Tal): May I know the total loss of foreign exchange as well as demurrage incurred on account of this strike?

Shri Hathi: I have not got the figures with me, and I would require notice for that.

12:26 hrs.

RE: SUSPENSION OF MEMBER FROM SERVICE OF THE HOUSE

(Dr. Ram Manohar Lohia)

Mr. Speaker: Shri Kishen Pattnayak has written to me that he wants to raise a point.: He may raise it now.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, डा॰ राम मनोहर लोहिया, की कल हुई मुग्रत्तिली के बारे में यह प्वाइंट रेज करना चाहता हूं। कल की घटना जिन परिस्थितियों में हुई, उन परिस्थितियों के दो पहलू हैं—एक है संसद्कार्य मंत्री का जुमें और दूसरा है ग्रापकी जिम्मेदारी।

जहां तक संसद्-कार्य मंत्री के जुम का सम्बन्ध है, वह प्रापको 4 दिसम्बर की प्रोसीडिंग्ज में मिलेगा । 4 दिसम्बर को विजिनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने सदन को यह ग्राश्वासन दिया था कि डा॰ लोहिया के प्रस्ताव के बारे में 7 तारीख के बाद, यानी प्रधान मंत्री के लौटने के बाद ही, तारीख तय कर दी जायेगी।

सदन के सामने उन्होंने यह वचन दिया था, लेकिन इस वचन का कभी भी पालन नहीं हुग्रा। जब उन्होंने सदनको यह वचन दिया था तो उस वचन का पालन करवाने की जिम्मेदारी कुछ हद तक ग्राप की भी हैं।

तो संसद्-कार्य मंत्री का जुर्म श्रीर श्रापकी जिम्मेदारी, इन दोनों में सम्बन्ध रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने सदन को ठीक ढंग से चलाया होता श्रीर संसद्-कार्य मंत्री ने जो वचन दिया था, उसको अमल में लाने के लिये उनको मजदूर किया होता, तो कल की घटना न होती। कल जो घटना हुई, उसकी बुनियाद इस किस्म की है।

मैं चाहता हूं कि ग्राप इस दृष्टि से कल की घटना को देखें ग्रीर यह समझ कर कि इसके पीछे संसद्-कार्य मंत्री का ही जुमें है, कल की मुग्रत्तिली को कैंसल करें ग्रीर संसद्-कार्य मंत्री से कैं.फयत मांगें।

भ्रष्टयक्ष महोदय : जहां तक संसद्-कार्य मंत्री का ताल्लुक है, उस का जवाब तो गवर्नमेंट देगी । क्या मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहोंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां।

श्राच्यक्ष महोदयः जहां तक मेरा सम्बन्ध है, वह मैंने कल ही रोशन कर दिया था। मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी कि ये दोनों बातें बिल्कुल श्रालाहदा हैं। कल जो फ़ैसला लिया गया, वह इस हाउस का है—मेरा नहीं है। श्रीर न यह जिम्मेदारी मुझ पर श्राती है कि जो एशोरेंस दी गई है, मैं गवर्नमेंट को कहूं कि वह इसको फ़ौरन पूरा करे। कमेटी के सामने वह प्रस्ताव गया श्रीर मैंने सुना है कि उसने उसको कंसिडर भी किया है। मिनिस्टर साहब जो बयान देंगे, उससे पता चल जायेगा कि क्या वाक-यात हैं।

6171

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): म्रज्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माप गह मन्त्री को बुलायें, श्राप मेरा भी निवेदन सुन लें।

श्रध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ़ माननीय सदस्य, श्री पटनायक, को इजाजत दी थी।

श्री रामसेवक यादव : श्रापने कुछ कहा है, मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हुं ।

ब्राध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कहुंगा, क्या उस पर बहस चलेगी?

श्री रामसेवक यादव : बहुस नहीं, मैं उस पर कुछ निवेदन करना चाहता हं, ताकि उस की जानकारी भी हो जाये।

यह मसला काफ़ी दिनों से चल रहा था जब से यह सब शुरू हुन्ना, तब से चल रहा था। बराबर यह सवाल इस सदन में उठता रहा । स्राप के स्रीर माननीय सदस्य, डा० लोहिया, के बीच में जो वार्ता होती थी, वह तो होती थी, सदन में भी वह चर्चा उठती थी। ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ग्रौर ग्रापके दर मियान जो बातचीत हई, जिस तरह से वह प्रस्ताव गया स्रौर उसमें हेर-फेर हुए ग्रौर संसद्-कार्य मन्त्री, श्री सत्य नारायण सिंह, ने जो ग्राश्वासन दिया, इन सब बातों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो उसका यही अर्थ होता है कि अध्यक्ष महोदय, लोक सभा ग्रीर ससद्-कार्य मन्त्र इन तीनों की करीब-करीब यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उस प्रस्ताव पर बहस करायें।

मैं ग्राप से विनम्त्र निवेदन करूंगा कि यदि कोई मन्त्री इस सदन में खड़े हो कर कोई ग्राक्वासन दे, उस पर चर्चा चलाने की बात करे तो उस ग्रांश्वासन को पूरा किया जाना

चाहिए । स्राखिर स्रगर सच स्रीत झुठ में कोई भेद नहीं होगा, ता बहस चलाने का कोई ग्नर्थ नहीं होता है। उस ग्राश्वासन के बाद ग्रापका भी कर्त्तव्य होता है, जितने संसद-सदस्य यहां पर हैं, उनका भी कर्त्तव्य होता है कि उस ग्राश्वासन पर ग्रमल किया जाये, ताकि इस तरह की ग्रनहोनी घटनान घटे। सिर्फ़यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि ग्राःपकी जिम्मे-दारी नहीं है। मैं जानता हं कि स्राप बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रापका भी कर्त्तव्य है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): ग्रध्यक्ष महोदय, श्री किशन फ्टनायक ने जो ग्राखिरी निवेदन ग्राप से किया है कि श्री लोहिया के बारे में जो सस्पेन्शन ग्रार्डर है उस को हटा लिया जाये, उसके सम्बन्ध में मैं ग्राप से निवे-दन करना चाहता हं कि कल जसी सारी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, हो सकता है उसमें हम लोगों से कोई गलती हुई है। क्योंकि मैं ग्रापके निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता. लेकिन श्री नाथपाई ने जो कुछ कहा ग्रौर उसके बाद गह मन्त्री जी ने एक बयान दिया, उसके बाद मेरा खयाल था कि हम लोग ग्रगर जल्दबाजी न करते ग्रौर डा० लोहिया को समय दे दिया जाता श्रीर वह गह मन्त्री जी की बातों पर विचार करते तो शायद यह ग्रनहोनी घटना जो हुई, न होती । इसलिये मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता ह कि ग्राप ग्रपने फैसले पर दोबारा गौर करें तो . . .

श्रष्यक्ष महोदय: नहीं, इस बात की कोई जरू त नहीं है। कल भी श्री यादव ने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किये थे जिन को मैंने बहत महसूस किया था, वह मझ पर रिफ्लेनशन कर रहे थे। ग्राज भा. गो डाइरेक्टली नहीं, इन-डाइरेक्टली ऐसी बातें लाई जा रही हैं ग्रौर ठहराया जा रहा है कि इसमें मैं दुसूरवार हु। ग्रगर मैं इन्साफ से चलता तो शायद यह घटना [ग्रध्यक्ष महोद्रा[

न होती । स्रगर मेरे ६, लाफ कोई शिकायत है तो सिर्फ निकालने की नोटिस से हो सकती है। बाकी चीज मैं यहां ग्रलाऊ नहीं कर सकता कि उस पर कोई नक्ताचीनी की जाये। श्रगर मेरा फैसला गलत है, तो मैंने उस दिन भीकहायाकि गलती कुछ हो सकती है I said the other day that the finality of my decision does not flow from its correctness; the correctness is the result of its finality. There is nothing more that can be said about it. मैंने कल भी अर्जिकिया कि सब कुछ गलत हो यह मान लिया जाये स्रौर सारो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यह भी मान लिया ाये मेरी गलती हो, फिर भी किसी मेम्बर को हक नहीं कि वह कहे कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चलने द्गा। इस वास्ते बाकी चीजों को छोड़ कर, गलतियों को तसलीम करके उन को मान कर के, जो कसला है उस मन्त्रर के सम्बन्ध में, जिसका यह एटिट्यूड है, वह दुरुस्त है। उसमें कोई निगरानी या नजरसानी या तबदीली नहीं की जा सकती । होम मिनिस्टर साहब . . .

श्री रामसवक यादव : मैं सफाई देना चाहता हूं। मुझे मौका दिया जावे।

श्रध्यक्ष महोदयः श्रब श्राप बैठ जाइये ।

श्री नन्दा : वड़े खेद की बात है कि इस किस्म की बातें यहां घड़ी घड़ी उठाई जाती हैं। पहली बात मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हम किसी बहस से डरने वाले नहीं हैं, कोई चीज हमारे लिये छिपाने की नहीं हैं। हर एक चीज का हम मुकाबला कर सकते हैं। श्रीर जवाब दे सकते हैं।...

(Interruptons)

ग्र**ध्यक्ष महोदय**ः ग्रव ग्राप उनको जवाव तो देने दीजिये । मैंने उनसे कहा है कि वह जवाब दें। प्राप नहीं चाहते कि वह बोलें तो मैं उनको विठला दूंगा। (Interruptions) ग्रगर प्राप नहीं सुनना चाहते...

Shri M. R. Krishna (Poddapalli): We would like to hear.

श्री राषेलाल व्यास (उज्जैन): वह नहीं सुनना चाहते तो ग्राप उनसे कह दें कि े बाहर चले जायें।

श्री नन्दा: लेकिन ग्रगर किसी चीज का जवाब देना है तो वह किसी तरीके से होना चाहिये ग्रीर मुनासिब बात होनी चाहिये। ग्रगर किसी चीज का जवाब देना है तो जवाब किसी रूल के मुताबिक होना चा ेये। लेकिन जो कुछ यह कह रहे हैं उसके लिये ग्राधार यह बना रहे हैं कि कोई बचन दिया गया श्राश्री उसका पालन नहीं हुग्रा। तो मैंने देखा है प्रोसीडिंग्स में कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहां नहीं ने उस बक्त सवाल उठाया गया जिस का सम्बन्ध प्राइम मिनिस्टर साहब से था। उस बक्त मिनिस्टर ग्राफ पालियामेंटरी अफेग्रस ने कहा था कि "जब वह ग्रावेंगे तो मैं उनसे पूछुंगा ग्रीर पूछ कर जवाब दूंगा कि क्या होना चाहिये।"

श्री किञन पटनायक : झुठबोल रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : ग्राप पूरा पढ़ ीजिये ।

श्रष्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। कैसे माननीय मदस्य इस तरह से कह सकते हैं।

श्री किशन पटनायकः उन्होंने गलत बात कही । श्रव्यक्ष महोदय: ग्रव ग्राप बैठ जाइये। बहुत बुरी बात है एकलब्द कूद पड़ना और कहना कि झूठ बोल रहे हैं। (Interruptions).

श्री किशन पटनायक यह सदन का ग्रप्रमान कर रहे हैं, इतनी गलत-वयानी कर रहे हैं ।

म्राच्यक्त महोदय : मेरा खयाल है कि इस तरह से बात करना

श्री किशन पटनायक : वह मंत्री हैं.....

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा॰ राम मुभग सिंह) : उन्हें उसे वापस लेना चाहिये।

Shri Vidyacharan Shukla (Mahasamund): He must take back these words.

स्रध्यक्ष महोदय: मैं श्री पटनायक को मक्वरा दूंगा कि इस 'झूठ' शब्द को वापस लेलें। जिस चीज को इतनी तेजी से कहा उसे वह वापस लेलें।

श्री किशन पटनायक : मैं "झूठ" तो वापस लेता हूं ग्रीर उसके बदले "ग्रसत्य" कहता हूं । घोर ग्रसत्य बात उन्होंने कही है ।

श्रष्टिश्वक्ष महोदय : बड़ा अजीब एटिट्यूड का । अगर श्राप किसी इरादे से आये हैं तो मुझे अफसोस हैं

श्री किशन पटनायक : कोई इरादा नहीं है, स्रापको इरादे की बात करनी ही नहीं चाहिये।

श्री रामसेवक यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्प्रता से निवेदन करूंगा कि कल जो शब्द मैंने कहे वह इसीलिये—, ग्रगर आप इजाजत दें तो कहूं, नहीं तो मैं चठा जा रहा हूं—मैं थोड़ी सी सफाई दे दूं इस सिलसिले में कि कल जब माननीय डा० लोहिया का प्रश्न उठा तो जिस तरह से

वहां पर कोई प्रश्न उठता है तो दूसरे सदस्य भी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिर्फ उस के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था, ग्रौर भ्रापकी तरफ से भ्राया कि 'सलाह कर लीजिय किसको करना है"। इससे मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि जैसे हम लोग कुछ तय करके श्राये हैं स्रीर यहां तय कर रहे हैं कि पहले डाक्टर साहब करेंगे फिर मैं करूंगा । अपगर मापके दिल पर यह ग्रसर पड़ा हो तो मैं इसे साफ कर देना चाहता हूं कि यह नितान्त भ्रामक बात थी । मेरे मन में कोई ऐसी बीज नहीं थी। अगर मेरी इस बात से आपके ऊपर कोई ब्राक्षेप ब्राया है तो मुझे भो इसके-लिये अफ सोस है। फिर आज जो कुछ मैंने कहा वह इस जानकारी के आधार पर कहा कि जो कुछ ब्रापके ब्रौर माननीय सदस्य के बीच हुन्ना उससे शायद यह चीज हल हो जायेगी । ग्राप पर ग्राक्षेप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब एक गृह मंत्री, जिन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, कोई बात कहते हैं स्रीर बतलाते हैं कि यह कार्रवाई है संसद्की स्रोर उसको ठीक से पढ कर नहीं सुनाते

प्रध्यक्ष महोदय: अब आप वंठ जाइये।
मुझे अफसोस है इस बात का कि हम लोग
ठीक इंग से कार्रवाई नहीं चला रहे हैं। जब
हम डिमाकेसी चला रहे हैं तो हमें पेशन्स से
और फोरवें अरेंस से काम लेना है। दयानतदारी से दो सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता
है। एक अगर कहें कि वचन भंग किया गया है
और दूसरा कहें कि वह ऐसा नहीं समझता
तो दोनों दयानतदारी से कह सकतें हैं।
इस पर फौरन एक सदस्य कूद पड़े और कहा
कि यह झूठ है, यह डेंमाकेसी का उसूत नहीं।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने झूठ वापस ले लिया।

श्रध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि झूठ नहीं तो असत्य है। बाकी जब आपने अपना एक्स्प्लेनेशन दिया तो मैं भी देना चाहता हूं। मजे खुशी है कि श्री राम सेवक यादव ने

[अध्यक्ष महोदय]

ग्रपनी सफाई कर दी । लेकिन ग्रफसोस की बात यह है कि जो कुछ मैंने ग्रांखों से देखा--ग्रगर मेम्बर व्हिसपर करते हैं तो ग्रावाज मुझ तक पहुंच जाती है---मैंने ग्रपनी ग्रांखों से देखा ग्रौर डाक्टर साहब को सुना, जब कि एक मेम्बर खड़े हो कर उस समय बाधा डालने की कोशिंश कर रहें थे, स्रौर मैंने कहा कि स्राप बाधा डाल रहे हैं, वह कह रहे थे कि मुझ करने दीजिये । उन्होंने मेरे सामने कहा । तभी मैंने कहा । मुझे इस बात के लिये कूसूरवार ठहराया जा रहा है कि मैंने कहा कि ग्राप सलाह कर लें कि किसे करना है। जो कुछ मैंने ग्रांखों से देखा ग्रीर कानों से सुना उन वाकयात से इन्कार किया जाय ग्रौर नाराजगी जाहिर की जाये कि मैंने कुछ ज्यादती की है, तो मुझे अफसोस है कि आप इसको इस माने में लेते हैं। स्रापने जो कहा उस पर मुझे तसल्ली है। ग्रापके मन में जो था उसको मैं स्वीकार करता हूं कि ग्रापका कोई ऐसा इरादा नहीं था। यह तो पहला उसूल है कि जो चीज सामने हो उसको दो तरह से समझां जा सकता है । दोनों दयानतदार बन कर एख्तलाफ राय कर सकते हैं। एक को ग्राप स्ट्रांगली कहते हैं कि यह वचन भंग किया गया है जो इकरार किया था, ऐश्योरेंस दिया था, उसको तोड़ा है। हो सकता है कि गवनमेंट ऐसा न समझती हो ग्रौर दयानतदारी से न समझती हो। यह जरूरी नहीं कि उसमें बदनियती या झुठ बोलने की बात हो। हमें सब से सुनना चाहिये कि वह क्या कहते हैं, उसके बाद उसे देखा जा सकता है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : ग्रघ्यक्ष महोदय, उनके बारे में

प्रध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाइये। श्री मधु लिसये: मैं गृह मती महोदय की नियत पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं आप के द्वारा उनसे इतना ही अर्ज कर रहा हूं जो कार्रवाई हुई उसे ठीक से पढ़ें ताकि क्या सही है और क्या झूठ है इस का पता चले। प्रध्यक्ष महोदयः क्या हमेशा यही बात रहेगी कि मेम्बर जितना चाहें उतना कोल लें तब मुझे इजाजत हो कि मैं कार्रवाई चला सकूं।

श्री नन्दा : उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, मैं उन पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाता कि जो सवाल उन्होंने पूछा उसमें बदनियती थी। मैं मान कर चलता हूं कि उन्होंने ग्रपने ढंग से समझा कि शायद इसमें वचन भंग हो गया । मेरे हाथ में यह प्रोसीडिंग्स थीं । मैंने उसका एक हिस्सा तो पढ़ा ग्रौर दूसरे हिस्से के बारे में कहने वाला था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। सत्य नारायण जी का जवाब था "लेकिन जिनसे यह सवाल सम्बन्धित है वह इस समय हिन्दुस्तान में भी नहीं है" मैं उनके शब्दों को पढ़ रहा हूं, यह उन की राय है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं "इतनी अवल तो होनी चाहिये कि इन सवालों का जवाब प्रधान मन्त्री के ग्राने पर दिया जा सकेगा। उन को यह समझना चाहिये कि जब वह यहां नहीं हैं तो तो ऐसा सवाल न उठाया जाये ।"

यह चीज पहले कही गई है। ग्रब उसके कुछ बाद की बात मैं कहे देता हूं। फिर ग्रीर कुछ बातें हुईं। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री जी सात तारीख़ को ग्राने वाले हैं, उनसे पूछ कर ग्रीर उनकी सहलियत के ग्रनु-सार इसके लिए कोई तारीख़ निश्चित् कर दी जायेगी । सवाल यह है कि उनसे पूछा जाना है । ग्रब उसमें यह तो मैंने कहा कि ग्राप ग्रपना ग्रर्थ निकाल सकते हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका ग्राधार यह है कि जो कुछ प्रोसीडिंग हुई उसको साथ लेकर मैं उनसे यह कह रहा हं कि मैं प्रधान मन्त्री जी से पूछूंगा। बाक़ी उनकी सहलियत की बात थी कि उन्हें क्या चीज महसूस होती है ग्रौर यह कि इस के बारे में उन्हें किसी किस्म का जवाब देना है या नहीं देना है।

उसके बाद मैं यह अर्ज कर दंकि जो वाक-यात हए उसके बाद मिनिस्टर ग्रीफ पालिया-मेंटरी एफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर साहब को पुछा, उनसे इस बारे में मशविरा किया। जो उनसे सलाह मशविरा हम्रा उसका नतीजा यह हुआ कि स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें यह बतलाया नया ग्रीर उस किस्म की बात यहां भी हुई थी सदन में उसमें तीन सवाल उठते हैं। एक है जीप के बारे में तो उसका भी एक रेजोल शन हो गया। जीप का विषय प्रस्ताव के रूप में ग्रा गया है इसलिए वह चीज रहती नहीं। दूसरी बात वह थी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मिनिस्टर्स लोगों को देहात में ठहरना चाहिये ग्रौर वे देहातों में जायं तो उस वारे में भी मैंने जवाब दिया था। उस बारे में 15 मिनट का समय दिया गया वा ग्रीर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने सवाल पुछे थे श्रीर उनका जवाब दे दिया गया वा तो इस तरह से वह मामला भी खत्म हम्रा। तीसरी बात कुछ कंटैडिक्शंस के बारे में थी जो कि चीन के बारे में थी। ग्रब उसके लिए पूछा गया कि चीन के बारे में क्या कंट्रैडिक्शांस हैं तो कुछ मालुम नहीं हुन्ना। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहलवाया कि उन्हें तो कोई कंटैडिक्शन नजर नहीं स्राता इसलिए कोई चीज जवाब देने की नहीं है।

ग्रव एक बात मैं जरूर कहता हूं ग्रौर वह
बह कि मैं टैकनिकल ग्राउण्ड पर कोई स्ट्रेण्ड
नहीं लेना चाहता। ग्रगर कोई चीज सदन को
बतलाने के काबिल है, ग्रावश्यक बात है तो
उसको बतलाने से मैं हरगिज परहेग नहीं
करूंगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब
ग्रायं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इस
बारे में स्टेटमेंट कर दें ताकि जो कुछ कहना हो
वह ग्राप को माल्म हो जाय।

श्री किशन पटनायक : मामला इससे साफ नहीं हुग्रा।

श्री मघुलिमयेः क्या इसी सत्र में... (इंटरप्श्रंस) **ग्रध्यक्ष महोदय**: कितने ग्रादमी बोलेंगे ? सब बैठ जायं।

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Sir, yesterday this question was discussed in the sub-committee of the Business Advisory Committee as to whether this Resolution has to be given preference and it was decided that this should get preference out of the three resolutions that we took up in the sub-committee. Since there was a discussion in the House about the jeep, it was felt that it need not be included in the Resolution. That was our recommendation and it is up to the Government to fix a time.

Shri Nath Pai (Rajapur): Yesterday, when an important matter was referred to by Prof. Mukerjee as when the House as a whole will be concerned with matters like the one with which we were faced yesterday and if the Prime Minister we told he is the Leader of the Housenot present who will officiating? This is the second occasion when very serious events have taken place and the House has felt a little embarrassed. I think Mr. Nanda is officiating. Will the Party make up its mind or is it a secret to be announced after six months they did before? Has the Party taken any decision as to who is to be the deputy leader to officiate as Leader of the House? The House is entitled to know this. This is not a party matter.

Secondly, he has pointed out one aspect of this statement of the Minister of Parliamentary Affairs. If I recall—you too will recall Speaker-on Friday last the Minister of Parliamentary Affairs in reply to a question on the same has now been raised Mr. Pattnayak, said that it was for the Business Advisory Committee. This lacuna has not been explained. Sometimes it is the Prime Minister's convenience; at other times it is the Business Advisory Committee. What step did he take to get the consent of the Business Advisory Committee?

Mr. Speaker: That was the confusion there; it is not the Business Advisory Committee that deals with it; it is the sub-committee.

Shri Nath Pai: May I know? Will a

reply come to my questions?

Mr. Speaker: Yes. Mr. Banerjee. Shri S. M. Banerjee: The hon. Home Minister has stated that after consulting the Prime Minister, he will let us know. Most probably, the Prime Minister is going to make a statement on the same point. It may not be the jeep; it may be other things. I have a request that on the day on which the Prime Minister makes a statement with your special permission, Dr. Lohia may be permitted to come here and explain his position.....

Shri Priya Gupta (Katihar). I want to know whether Mr. Satya Narayan Sinha would say finally when the matter will come up before the House. That is the same point raised by Mr. Nath Pai. My point is that the word used is sahuliyat: it is not an adjunct to whether he will at all reply or not; it is an adjunct to on which date he will reply. He may kindly refer to that Hindi word and get the clarification. I want this clarification.

ं श्री सच् लिसये: अध्यक्ष महोदय, में आप के द्वारा गृह मन्त्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या इस सत्न की समाप्ति के पहले यह मसला आयेगा ?

श्री प्रकाशबीर शास्त्री (बिजनौर) :
प्रध्यक्ष महोदय, संसद एक परिवार है जिसके
कि सबसे बड़े संरक्षक आप हैं । इस परिवार
के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके पास संख्या की
सम्पत्ति अधिक है, कुछ सदस्य इस प्रकार के
हैं जिनके पास संख्या की सम्पत्ति कम है इसलिए
स्वाभाविक रूप से उस परिवार के संरक्षक
होने के नाते आप की सहानुभूति उन स्दर्यों
के साथ होनी चाहिए जिनके पास संख्या की
सम्पत्ति कम है । उस के लिए हम आप के आभारी हैं । परन्तु यदि कभी कम गिनती वाले
सदस्यों की और से कोई अपनी दुबलता के
कारण ऐसी घटना हो जाय कि जिस घटना के
कारण स्थापके मस्तिष्क पर ब्रा प्रभाव पड़े और

देर तक ग्रापके मस्तिष्क को वह घटना उद्धे-लित करती रहे ग्रीर सदन की भी उद्धेलित करती रहे तो उसके लिए मैं अपन सहयो-गियों की ग्रोर से ग्राप के सामने उस भल को स्वीकार करता हं। मैं स्त्रयं उन सदस्यों में हं जो इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकते कि इस प्रकार के शब्द कहे जायं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जायगी। कल भी मैं इससे सहमत नहीं था श्रीर श्राज स्पष्ट रूप से पुनः इस बात को कह भी रहा है। परन्त इतना सब कुछ होने के बाद जो घटना कल घटी श्रीर जिस ढंग से वह चर्चा का विषय बनी. मेरा अपना अनमान है कि श्री किशन पटनायक के इस प्रस्ताव के ग्राने के बाद गह मन्त्री महो-दय को उन के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि डा॰ लोहिया की मुम्रनिली की सजा ग्राज तक के लिए ही रख कर ग्राप उसको हटा देते । इसमें जो दुर्बलता ग्रा रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं यह ग्रन्भव करता हं कि पहले प्रधान मन्त्री श्री जवाहर-लाल नेहरू जब संसद् का ग्रधिवेशन चलता था तो बराबर थहां उपस्थित रहते थे । संसद को वह सबसे अधिक प्रमुखता देते थे। लेकिन मझे द:ख है कि जब संसद चल रही है तो हमारे प्रधान मन्त्री इन दिनों बाहर हैं। स्रभी गह मन्त्री जी ने जैसे कहा कि मैं प्रधान मन्त्री जी से यह कहंगा कि वह इस संबंब में एक वक्तव्य दें तो मेरी जहां तक जानकारी है 24 तारीख तक तो प्रधान मन्त्री जी यहां ग्राने वाले नहीं हैं जविक 24 तारीख़ को संसद का सब समाप्त हो जायेगा तो प्रधान मन्त्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य ग्रगर देंगे तो कव देंगे 🤅 क्यागृह मन्त्री जी प्रधान मन्त्री जीकी टेलीफोन करेंगे कि वे यहां दिल्ली में 24 तारीख से पहले पहले ग्राकर सदन की ग्रपना वक्तव्य दें ? मेरा कहना है कि सरकार को इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिये । ससद् की सर्वश्रेष्ठता लोकतन्त्र को बनाये रखने में ही है ग्रीर उसका हमें बरावर पालन करना (Interruption)

Re: Suspension

भ्रष्यक्स महोदय : वस मैं भ्रव इस से भ्रधिक और न सुनूंगा । क्या मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री किशन पटनायक: ग्रभी तक मेरी बात का जवाब नहीं मिला है

ग्रध्यक्ष महोदय : श्रव माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री किशन पटनाथक : मैं फिर कहूंगा कि उसके बारे में सफाई हो जानी चाहिए क्योंकि ग्रगर वह नहीं होती है तो फिर यह सदन के साथ एक मजाक हो जायेगा ।

Shri Nanda: I would like to convey to the Members of the House that the Prime Minister will be present here on the 24th, and therefore, that difficulty which is being anticipated by the hon. Members does not arise. Whatever the Prime Minister will like to do, can be done on that day.

श्री **किशन पटनायक** : मेरी बात का जवाब नहीं मिला है ।

ग्रध्यक्ष महोदयः मैं मेम्बर साह्यान को यह साफ़ कर देना चाहना हूं कि इस तरह से नहीं चल सकता है।

श्री किशन पटनायक : इस तरह से सदन भी कैसे चल सकता है ? इस मदन में जो वचन दिया जाता है. क्या उमका कोई क्जत ग्रीर मूल्य ही नहीं है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : मुझे मजबूरन कहना पडेगा कि

श्री किशन पटनायक : मेरी वात का जवाब दिया जाये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को तीन बार कह चुका हूं, लेकिन वह फिर भी रुकावट डाल रहे हैं।

श्री किशन पटनायक: संसद्-कार्य मंत्री ने जुर्म किया है—वचन देकर उसको निभाया नहीं है। उस का क्या होता है? उन्होंने सदन के सामने वचन दिया है। इस प्रकार तो सदन का कोई मतलब नहीं रहता है। उसके साथ मजाक हो जाता है, अगर एक मंत्री इस सदन में वचन देकर उस को पूरान करे। इस बात का जवाब दिया जाये।

म्रध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य. श्री किशन पटनायक, से कहता हूं कि वह सदन से बाहर चले जायें।

श्री किशन पटनायक : यह सदन के साथ मजाक किया जा रहा है ।

(Shri Kishen Pattnayak then left the-House)

भी हुकम चन्द कछवाय (देवास)
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखंता हूं कि यह
सारी घटना समाचारपत्रों में नहीं ग्रानी चाहिए।
(Interruptions).

ग्रध्यक्ष महोदय : एक दो बातें मैंने भी कहनी हैं।

श्री राम सेवक यादव : ग्रध्यक्ष म ो-द्वय,

ग्रध्यक्ष महोदयः नहीं, ग्रौर कुछ नहीं।

मैं इस हाउस को एक दो वातें श्रांग कहना चाहता हूं। एक तो यह है। के मेरे फ़ैसले के बावजूद श्री बनर्जी ने यह सवाल उठाया कि मुद्यत्तिली में कोई फ़र्क किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी: मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, तो ग्राप डा० लोहिया को भी स्टेटमेंट देने की स्पेशल परमिशन दें।

ग्रध्यक्ष महोदय : तो यह श्रौर क्या हुग्रा ? शायद मेरे लफ्ज कमजोर हों ।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी : समझने में गलर्ता हुई है ।

म्रध्यक्ष महोदय: कल का फ़ैसला हाउस

[ग्रध्यक्ष महोदय]

का है। मैं उसमें तब्दीली करने में ग्रसमर्थ हूं। अगर माननीय सदस्य इस हाउस को रिग्रेट करें, तो यह हाउस सोच सकता है ग्रीर मैं इसके सामने इसको पेश कर सकता हुं, लेकिन ग्रगर वह रिग्रेटन करें, तो मैं कुछ नहीं करूंगा।

श्री मधु लिमये : संसद-कार्य मंत्री ने जो अपना वचन पूरा नहीं किया है, वह उसके लिए रिग्रेट करे।

श्री रामसेवक यादव: श्री सत्य नारयण सिह को भी खेद प्रकट करना चाहिए।

श्रम्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल यह उठाया गया है कि मंत्रियों की हाजिरी यहां नहीं होती । कई दिन से मेरे मन में यह ख़्याल है कि मंत्रियों की हाजिरी यहां ज्यादा जरूरी है।

Shri Nath Pai: The Leader of the House also.

श्रम्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है कि सरकारी काम के लिए, स्टेट विजिनेस के लिए. मंत्रियों ने बाहर जाना (Interruptions).

श्री हकम चन्द कछवाय : उद्घाटन श्रीर भाषण करने के लिए

श्राध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सनझता । सब मेम्बर साहबान भ्रौर खुसूसन गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहबान इस पर सोच लें---मैं कोई फ़ैसला नहीं दे सकता हूं, मैं सिर्फ़ एक सजेस्टियन दे रहा हं--- कि अगर पालिया-मेंट इन सेशन हो, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरबार ग्रीर शुक्रवार, कम से कम हाफ डे, ये जो साढे चार रोज होंगे, इनमें कोई मिनिस्टर बाहर न जाये । (Interruptions)

यह मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। यह कोई रूल नहीं है। किसी वक्त स्टेट का विजिनेस हो सकता है ग्रीर बाहर जाना जरूरी हो सकता है। तो वह गुक्रवार ग्राफ्टरनुन को बार चला जाये, वह शुक्रवार, शनिवार ग्रीर इतवार को बाहर रहे लेकिन सोमवार को यहां आ जाये। लेकिन इसकी एक करोलरी भी है--एकबड़ी शर्त यह है कि जब पालियामेंट का सेशन हो, तो उसमें कोई छट्टी न ग्राए। ये पांच दन हम जरूरबैठें भ्रौर शनिवार भ्रौर इतवार जरूर छद्री हो । ग्रगर हाउस इस बात को एपरूव करे ग्रौर गवर्नमेंट समझे कि वह इस तरह काम कर सकती है, तो ब्राइन्दा ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी।

मैं कई दिन से यह सोच रहा था कि मैं ाउस के सामने यह तजबीज रखं। मैंने यह महसुस किया है कि मिनिस्टर्ज स्टेट विजिनेस के लिए बाहर जाते हैं भ्रौर उनको जाना पडता है, लेकिन उनको टाइम फ़िक्स करना चाहिए । जब पालियामेंट चलती है, तो किसी भी वक्त कोई क्वैं!स्टयन उठ सकता है। मैंने देखा है कि कई बार कालिंग एटैंन्शन नोटिस भी इसलिए बहत देर तक पड़े रहते हैं कि मिनिस्टर साहब बाहर हैं। इसकी जवाबदारी मुझ पर आरती है और मुझ पर नुक्ताचीनी होती है। मिनिस्टर साहबान सोच लें।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): The House agrees, let the Government say what they think.

श्राध्यक्ष महोदय : मैं उनको वक्त द्गा।

Shri Surendranath Dwivedy: We welcome this. We want the Government to agree.

Shri Ranga (Chittoor): They cannot disagree. (Interruption).

Mr. Speaker: Order, order. I have just put in a suggestion, so that the Government and Parliament consider it.

Shri Surendranath Dwivedy: Have we nothing to say in this matter, Sir? r6187 Re: Suspension of Member from service of the House

Mr. Speaker: I want them to consider it.

Shri Nath Pai: Mr. Speaker, Sir, you promised me that Shri Nanda would answer my question. Modest as he is, nobody would accuse him of usurping the office of Deputy Leader of the House, and therefore, is he officiating or not? We are entitled to know it.

Shri Nanda: The answer to the question has to be given by the Prime Minister. But it may be that the answer may need a little time for consideration. Therefore, the question whether anybody is officiating or not does not arise in this case. What you have stated, Sir, certainly deserves my respectful consideration.

Shri Ranga: One question was put by Shri Nath Pai. I thought you were going to give the answer—that is what you said—and then it appeared that the Minister was going to give the answer.

Mr. Speaker: He said that that also requires some consideration.

Shri Ranga: We reckon way: the Prime Minister comes first and then there is a second Minister, and then there is a third Minister. They have got their own order; they come in that order. One would expect that in the absence of the Prime Minister, the second man would officiate on his behalf and face the House here. Otherwise, the House would be without any leader at all. Therefore, may I take it that the second Minister-I do not know if it has been notified that way, that after the Prime Minister, there is a second Minister-is the acting Leader?

Mr. Speaker: They will consider.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): One pertinent question was put by Shri Nath Pai. I think that question may not be answered perhaps for the reasons which the Minister mentioned now, or explained now, but still, the pertinency of the point raised is there. Can this House have its proceedings conducted in the absence of the Leader of the House? Someone 1972 (Ai) LSD-5.

PAUSA 1, 1886 (SAKA) Papers laid 6188 on the Table

as Leader of the House must be present, whether he is leader or officiating leader. The presence of the Leader of the House is essential for the conduct of the proceedings of this House. Therefore, it should be noted that at all times there must be some indication as to who is the Leader of the House?

Mr. Speaker: That is a matter which they will consider.

12.56. hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COM-MISSION (THIRD AMENDMENT) RULES

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): On behalf of Shri A. K. Sen, I beg to lay on the Table a copy of the Khadi and Village Industries Commission (Third Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. S. O. 4086 dated the 28th November, 1964, under subsection (3) of section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. [Placed in Library. See No. LT-3688/64.]

Annual Reports and Accounts of Indian Airlines Corporation and Air-India, 1963-64.

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (1) Annual Report of the Indian Airlines Corporation, for the year 1963-64, under sub-section (2) of section 37 of the Air Corporations Act, 1953. [Placed in Library. See No. LT-3689/64.]
- (2) Annual accounts of the Indian Airlines Corporation for the year 1963-64 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 15 of the Air Corporations Act, 1953. [Placed in Library. See No. LT-3690/64.]
- (3) Annual Report of the Air India for the year 1963-64, under sub-section (2) of section 37 of the Air Corpora-